कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए क्या-क्या निर्णय लिये गये और राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा अब तक 19 वर्षों में एक वर्ष का भी वार्षिक कार्यक्रम पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किसी भी संचिका में हिन्दी में कार्य नहीं किया जाता है; और

(ग) मंत्रालय, अधीनस्थ कार्यालयों, संस्थानों के किन-किन अनुभागों में शत-प्रतिशत कार्य वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है, और यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा अपनी पिछली बैठक में दिये गये सुझावों में शामिल है : वाणिज्य मंत्रालय के लिये एक अलग पुस्तकालय की स्थापना एवं इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत निधि का समुचित उपयोग, मंत्रालय में निदेशक के पद का सृजन ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हिन्दी कार्यान्वयन संबंधी कार्य प्रभावी ढंग से हो, द्विभाषी कम्पयूटर तथा द्विभाषी इलेक्ट्रानिक उपस्करों की व्यवस्था, जांच बिन्दुओं तथा हिन्दी के लिये आवश्यक अवस्थापना जैसे कि मंत्रालय के प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी स्टाफ तथा हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था, सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग, मंत्रालय के सभी संगठनों द्वारा हिन्दी में तथा अन्य भाषाओं में वीडियो कैसेट तैयार करना जिनमें उनके कार्यकलाप तथा उनके उत्पादों को चित्रित किया गया हो, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन एवं हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाना ।

मंत्रालय राजभाषा अधिनियम और साथ ही हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में वार्षिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयास करता रहा है ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त उपाय किये गये हैं :—

(1) उन सभी टाइपिस्टों को, जिन्हें अभी तक हिन्दी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षित नहीं किया गया है, हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस प्रयोजन के लिये मंत्रालय में ही एक हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण यूनिट आरम्भ किया गया है। हिन्दी आशुलिपिक प्रशिक्षण के लिये भी प्रत्याशियों को भेजा जा रहा है।

(2) मंत्रालय में हिन्दी आशुलिपिकों के एक पूल की व्यवस्था की गई है ताकि हिन्दी में टिप्पण तथा ड्राफ्टिंग का डिक्टेशन देने के लिए अधिकारी उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकें।

(3) मंत्रालय के तीन अनुभागों अर्थात् रोकड़-I, रोकड़-II तथा व्यवस्था-iv सभी स्तरों पर अपना कार्य हिन्दी में ही करने के लिये अभिज्ञात किए गए हैं।

(4) मंत्रालय में सभी अनुभागों में ऐसी पांच फाइलें अभिज्ञात कर ली गई हैं जिनमें सभी स्तरों पर केवल हिन्दी में कार्य किया जा रहा है।

(5) सरकारी प्रयोजनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये जांच बिन्दु बनाए गए हैं।

(6) पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक मसौदे हिन्दी में भी तैयार किये गये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) हिन्दी अनुभाग के अतिरिक्त, मंत्रालय में जिन अन्य अनुभागों को सभी कार्य हिन्दी में करने के लिए अभिज्ञात किया गया है वे हैं : रोकड़-I, रोकड़-II तथा व्यवस्था-iv अनुभाग। अधीनस्थ कार्यालयों, संस्थानों आदि में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किये गये हैं। पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ तथा यांत्रिक सुविधाएं न होने एवं कतिपय क्षेत्रों में कार्य की विशेष अपेक्षाओं की वजह से वे ऐसा नहीं कर सके हैं।

हिन्दी में कार्य करने के लिये पदों का सृजन

1017. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय द्वारा नये पदों के सृजन तथा कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को पदोन्नति दिये जाने के मार्ग में बाधाएं खड़ी किये जाने के कारण कोई भी मंत्रालय, विभाग और संस्थान राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक कार्यक्रम को पूरा करने में समर्थ नहीं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार हिन्दी में कार्य करने हेतु अपेक्षित पदों के सृजन के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी. के. गढवी) : (क) और (ख) सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए बनाए गये वार्षिक कार्यक्रम से प्रशासनिक तौर पर राजभाषा विभाग सम्बन्धित है और वे ही केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के संबंध में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी भी हैं।

हिन्दी पदों के सृजन के प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय में उदारतापूर्वक विचार किया जाता और जहां कहीं औचित्य पाया जाता है, वहां सहमति प्रदान कर दी जाती है ।

Statement of Ex-CM of J & K

1018. SHRI SUKOMAL SEN:
SHRI MOSTAFA BIN QUASEM:

Will ihe Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the public statement of the former lammu & Kashmir Chief Minister on the 20th August, 1987 to the effect that he was a Pakistani;

(b) if so, what is Government's reaction thereto; and

(c) whether any clarification has been sought from the State Government in this matter ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Government of lammu and Kashmir have informed that the State Police have registered a case under appropriate sections of law.

1019. *[Transferred to the 21th Novem ber,* 1987.]

Licences for Hotels etc.

1020. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of applications for licences for the opening of Hotels, Guest Houses, Tourist Complex and Restaurants in the Union Territory of Delhi pending with his Ministry and since when they are pending;

(b) the reasons for the delay in issuing licences; and

(c) the number of licences issued from 1981 to 30th October, 1987 for Hotels, Restaurants, Guest Houses and Tourist Complexes in Delhi ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Such licences are granted by the Delhi Police authorities and not by this Ministry. The number of pending applications is indicated below: —

Year	Application pending for the grant of licence to hotels/ guest houses	Application pending for the registration of restaurants
1981	4	—
1982	6	—
1983	6	—
1984	2	—
1985	3	—
1986	11	3
1987	39	11
TOTAL	71	14

(b) Applications for licences to run hotels/guest houses are pending for want of clearance from the local bodies like DDA, MCD, NDMC and the Delhi Fire Service. 9 cases are being re-considered on the direction of the Court.